

उप  
रूपनाथ (अ)

२२-११-२५ वकील शर्मा की ओर से प्रार्थना-पत्र वास्ते उक्त प्रकरण की पत्रावली आगामी पेशी दिनांक १९-१२-२५ से भाजटी तलब कर नया प्रकरण प्रस्तुत किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुये उक्त प्रकरण को विद्रो किये जाने की अनुमति प्रदान करने वाकत पेश करने पर पत्रावली

तलब की गयी

हमने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया एवं वकील शर्मा को सुना। तदनुसार उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर शर्मा को नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रावली फ़ैसल बुमार होकर नम्बर सेकम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रूपनाथ (अजमेर)

